


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना उनवानी बिरजू वगै० बनाम मदन वगै० मु.सं. 25/2015	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
12-05-2025	<p>वास्ते आदेश पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय उभयपक्ष उप०। प्रार्थना पत्र अपील विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 265 दिनांक 05.08.2015 ग्राम पंचायत सिरोही पर बहस वकूलाय उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट्स ने अपने प्रार्थना पत्र अपील विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 265 दिनांक 05.08.2015 ग्राम पंचायत सिरोही में अंकित तथ्यों को बार-बार दोहराते हुए प्रार्थना पत्र अपील विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 265 दिनांक 05.08.2015 ग्राम पंचायत सिरोही स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 265 अपास्त फरमाये जाने की कृपा करें। वकील अपीलान्ट्स की बहस के प्रत्युत्तर में वकील रेस्पोंडेन्ट्स ने अपीलान्ट के अभिकथनों को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को बार-बार दोहराते हुए प्रार्थना पत्र अपील विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 265 दिनांक 05.08.2015 ग्राम पंचायत सिरोही विशेष हर्जे पर खारिज फरमाने का निवेदन किया।</p> <p>पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, पेशशुदा दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा बहस वकूलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि अपील में वर्णित भूमियां कदीम से मौके पर विभाजित रही है व रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 1 व 2 ने अपने नाम दर्ज हिस्से की भूमियों को रेस्पोंडेन्ट सं० 3 को विक्रय कर विक्रय राशि प्राप्त कर जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय की हैं तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की पालना में राजस्व अभिलेख में जरिए नामान्तरकरण संख्या 265 के आधार पर खातेदारी दर्ज हुयी हैं।</p> <p>अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र अपील विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 265 दिनांक 05.08.2015 ग्राम पंचायत सिरोही खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफतर हो। यह निर्णय आज दिनांक 12.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	


 (राजवीर सिंह यादव)
 उपखण्ड अधिकारी
 नीमकाथाना